विद्यालयी हिंसा बनाम शिक्षक नैतिक मूल्य – मुद्दे एवं चुनौतियाँ (भारतीय संदर्भ में)

अरुण कुमार*
दीपा मेहता**

मानव के जीवन निर्वहन में ज्ञान का प्रमुख स्थान है। अपनी आवश्यकता का संपूर्ण ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं नहीं रच सकता अतः पूर्वजों द्वारा रचे गये ज्ञान का विस्तार भावी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है और इसमें शिक्षक का योगदान अधिक महत्वपूर्ण पाया जाता रहा है। वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि शिक्षा द्वारा मानवीय मूल्यों के हस्तांतरण में बहुत बाधाएँ हैं, जिसमें एक है – शिक्षकों में मूल्यगत कमी, जिसके कारण वर्तमान एवं भावी पीढ़ी में मूल्य एवं नैतिक आचरण का संकट मँडरा रहा है, जिसका प्रभाव युवाओं, समाज की दिशा एवं राज्य के विकास पर पड़ना प्रारंभ हो चुका है। विद्यालय इससे अछूता नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परिवेश में या अन्यत्र तोड़-फोड़, आपसी लड़ाई-झगड़े, गाली-गलौच, मार-पीट, शिक्षकों को अपमानित करने की घटनाएँ बढ़ती जा रहीं हैं तथा उनके द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक नकारात्मक व्यवहार का नैतिक उत्तरदायित्व शिक्षक पर है। प्रस्तुत लेख में भारतीय शिक्षकों में होते जा रहे मूल्यगत ह्रास के कारण विद्यालयी परिवेश में हिंसात्मक गतिविधियों में होती जा रही वृद्धि की रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई है।

प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था भले ही आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित थी पर तत्कालीन गुरुओं में मूल्यपरकता का अभाव नहीं था। शिक्षा, जो अरण्यों में गुरुकुल प्रणाली द्वारा दी जाती थी, में शिक्षक का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास था। शिक्षक किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत हित की भावना से प्रेरित होकर शिक्षण कार्य नहीं करते थे। गुरु-शिष्य के बीच मधुर एवं आध्यात्मिक संबंध थे। शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सम्मानित स्थान था। गुरुकुल में विद्यार्थियों के लिए पारिवारिक वातावरण रहता था तथा गुरु माता-पिता के समान स्नेह एवं दुलार

शोध छात्र, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)
***असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)

प्रदान करता था। यही कारण था कि उस समय के विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति विनम्र एवं आज्ञाकारी होते थे तथा गुरु सेवा करना अपना परम सौभाग्य समझते थे। आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज व्यक्तियों में मूल्यगतह्रास ही दिखाई पड़ रहा है।

मूल्य – प्रत्यय

मानव–चरित्र के निर्माण में सद्प्रवृत्तियों और आदतों का अभ्यास सहायता करता है। अर्थात् व्यक्ति जिन प्रवृत्तियों को धारण करता है, उन सभी का योग चरित्र होता है। चरित्र आदतों का पुंज होता है। गुड, सी.वी.(1959) के अनुसार *"मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्यबोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है।"* रथ व अन्य (1966) के अनुसार *"मूल्य तीन प्रक्रियाओं पर आधारित होते है 'चुनना' (Choosing), 'महत्त्व देना' (Prizing) व 'क्रिया करना' (Acting)। व्यक्ति अनेक विकल्पों में से कुछ को, प्रत्येक विकल्प के परिणामों के बारे में स्वतंत्रतापूर्ण सुविचारित चर्चा करने के बाद चुनता है। वह अपने चयन को महत्त्व देता है अर्थात् उससे प्रसन्न होता है तथा उसकी कद्र करता है, और अपने चयन के आधार पर क्रिया करता है जिससे यह क्रिया एक जीवन–प्रतिमान के रूप में बार–बार होती है। ये सभी प्रक्रियाएँ सामूहिक रूप से मूल्य–निर्धारण को परिभाषित करती हैं। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के परिणामों को ही मूल्य कहते हैं।"*

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि मूल्य एक आचरण संहिता है, इसका संबंध नैतिकता से है, ये वे गुण हैं जिनको व्यवहार में लाकर मनुष्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, जीवन की पद्धत्ति को बनाते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मूल्य व्यक्ति के भीतर जागती ऐसी शक्ति है जो उसे कार्य करने की प्रेरणा देती है तथा उसके आचरण को निश्चित कर उस पर शासन करती है। यह आत्मा का विकास एवं साक्षात्कार कराती है। कोहलबर्ग (1969) ने भी नैतिक विकास को संज्ञात्मक तथा सामाजिक अनुभवों में अंतर्क्रिया का परिणाम माना और इसके कई स्तर एवं अवस्थाएँ बतायीं जो मूल्य संकटों को व्यक्त करने वाली अनेक परिस्थितियों के बारे में निर्णय लेते समय प्रकट होती हैं।

विद्यालयी हिंसा – प्रत्यय

इरादे से किसी अन्य के प्रति की गयी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्षति हिंसा है (जिमरिंग, 1991) । यही हिंसा जब विद्यालयों में घटित होती है तो विद्यालयी हिंसा (School Violence) कहलाती है। प्रस्तुत प्रत्यय की प्राचीनता पर ध्यान दें तो प्रकट होता है कि यह मानव की उत्पत्ति से ही उसके साथ जुड़ी हुई है। संवेग (Emotion) से इसका गहरा संबंध है। संवेग क्रियाओं के उत्तेजक होते हैं (गेल्डार्ड, 1931)। मानव ही नहीं समस्त जीवों में भोजन, आवास, अधिकार एवं जेंडर तृप्ति के लिए आपसी हिंसा होती है। आधुनिक विद्वानों जैसे डोर्से (2000) के शब्दों में *"ऐसा किसी प्रकार का नकारात्मक कार्य जो विद्यालय के सामाजिक परिवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, विद्यालयी हिंसा है।"* फर्लांग एवं मॉरिशन (2000) के अनुसार– *"विद्यालयी परिवेश में घटित ऐसी असामाजिक गतिविधियाँ, जो विद्यालयी नियमों एवं सामाजिक मूल्यों के रूप में अस्वीकार्य होती हैं, विद्यालयी हिंसा के अंतर्गत आती हैं।"*

विद्यालयों में घटित हिंसात्मक व्यवहार को विद्वानों द्वारा तीन वर्गों में विभक्त किया गया है–

1. शारीरिक हिंसा (Physical violence)
2. मनोवैज्ञानिक हिंसा (Psychological violence)
3. जेंडर हिंसा (Sexual violence)

शारीरिक हिंसा में एक पक्ष दूसरे पक्ष को शारीरिक रूप से कष्ट पहुँचाता है, जैसे– हत्या करना, थप्पड़ मारना, लाठी-डंडे से पीटना, बाल-पकड़कर घुमाना, कक्षा में अध्ययन के दौरान सिर पर बार-बार ठोकना, कंकड़-पत्थर फेंकना, धक्का देना, कोई नुकीली वस्तु चुभाना, रैगिंग आदि। वहीं मानसिक हिंसा से तात्पर्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को मानसिक पीड़ा पहुँचाना होता है, जैसे– शिक्षक या सबल विद्यार्थियों द्वारा किसी निर्बल, कमज़ोर विद्यार्थियों को धर्म, जाति, रूप-रंग, कद-काठी, क्षेत्र आदि के आधार पर उपेक्षित करना, डराना-धमकाना, गाली देना, शिकायत या चुगली करना, चिढ़ाना आदि। ऐसी घटनाएँ विद्यालय में हमेशा होती रहती हैं (डी. आई; कॉफेनवर्गर, 2005)। जेंडर हिंसा के अंतर्गत छात्राओं को देखकर सीटी बजाना, गुमराह करना, घृणित रूप से छूना, छेड़-छाड़ करना, ई-मेल या मोबाइल के माध्यम से अभद्र तस्वीरें भेजना, बलात्कार करना आदि आते हैं। एक पाश्चात्य अध्ययन में प्रकट हुआ है कि सर्वाधिक जेंडर हिंसा का शिकार 8-22 वर्ष की छात्राएँ होती हैं। इसी अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि 17% हाईस्कूल की छात्राएँ शारीरिक हिंसा तथा 12% छात्राएँ जेंडर हिंसा का शिकार होती रहती हैं। हिजलर तथा अन्य (1996) ने अपने अध्ययन में पाया कि लगभग तीन-चौथाई विद्यार्थी विद्यालयी परिवेश में इस तरह की हिंसा के शिकार होते हैं। विद्यालयी हिंसा की वृद्धि दर को देखते हुए एडम्स (2000), लाकउड (1997), वेल्स (2000) जैसे विद्वानों ने इसे 'महामारी' की संज्ञा दी है।

मूल्य एवं विद्यालयी हिंसा के संबंध

मूल्यों का संकट तब तक बना रहेगा जब तक मूल्य शिक्षा का दायित्व शिक्षक वहन नहीं करता। शिक्षक कक्षा में अपना विषय पढ़ाकर या किसी शीर्षक पर व्याख्यान देकर प्राय: अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। शिक्षा को वृहत् सामाजिक प्रणाली की एक उप-प्रणाली मानकर वे सोच लेते हैं कि जहाँ तक जीवन मूल्यों का प्रश्न है उससे उनका कोई विशेष सरोकार नहीं है और ये मूल्य तो विद्यार्थी समाज से स्वयं ग्रहण करते हैं। शिक्षक की इस मान्यता में सत्य का अंश होते हुए भी यह देश हित में नहीं है। विद्यालयी परिवेश में होने वाली हिंसात्मक घटनाएँ कहीं न कहीं शिक्षकों की मूल्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक भी हो सकती हैं।

दिल्ली की एक पाक्षिक पत्रिका *'सरिता'* (1973) द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके संघटक कालेजों के अध्यापकों का सर्वेक्षण कराया गया जिसमें पाया गया कि विश्वविद्यालय के अधिकांश अध्यापक अपना उत्तरदायित्व एवं प्रतिबद्धता लेशमात्र भी अनुभव नहीं करते, इसकी पुष्टि एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज़ (1980) द्वारा कराये गये अध्ययन से भी होती है। विद्यालयी परिवेश में हिंसा की घटनाएँ न हों, इसके लिए हमें सर्वप्रथम शिक्षा से संबंधित सभी व्यक्तियों में मूल्यों को स्थापित करना होगा,

विशेष रूप से शिक्षकों में। शिक्षक, व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को भी नयी दिशा देता है। आज का शिक्षक भी अन्य व्यक्तियों की तरह दिनोदिन अपने कर्त्तव्य से विमुख होता जा रहा है। विद्यालयी अध्यापन में उसकी औपचारिकता एवं कोचिंग संस्थानों में उनकी विश्वसनीयता, गुणवत्ता दोनों प्रकट होती हैं। असहिष्णुता एवं कर्त्तव्यनिष्ठा के अभाव का शिक्षकों के वेतन पर प्रभाव न पड़ना, उनमें ऐसी अकर्मण्यता की धारणा को स्थापित करता है जिसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों में जो गुणात्मक एवं मूल्यगत विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता। मूल्य की स्थापना से ही शांति की स्थापना की जा सकती है। इस हेतु पहले विद्यालयों के शिक्षकों में मूल्यों की स्थापना करनी होगी जो छनकर बच्चों तक पहुँचेगी। दुर्खीम (1956) जैसे समाजशास्त्री के अनुसार *"शिक्षा प्रौढ़ पीढ़ियों द्वारा सामाजिक जीवन के लिए अब तक तैयार न हुए व्यक्तियों पर प्रभाव डालती है। इसका उद्देश्य बालक में विशेष प्रकार की शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, मूल्यपरक अवस्थाओं को उभारना तथा विकसित करना होता है, जिसकी उस सामाजिक पर्यावरण को आवश्यकता होती है।"* इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था– *"यदि हमें विश्व में वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना हो तो इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी।"* आज के बच्चे कल के शिक्षक एवं समाज निर्माता होंगे। वे समाज के हर क्षेत्र में, जहाँ वे होंगे सही दिशा प्रदान करेंगे और अपने चरित्र से सारे जगत को प्रकाशित करते रहेंगे। मुदालियर आयोग (1952–63) ने भी धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक माना है।

विद्यालयों में धर्म को लेकर भेदभाव किया जाता है जो हिंसा का कारण बनता है। विश्व के समस्त धर्मों, यथा– हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई आदि से संबंधित महापुरुषों द्वारा मूल्यपरक उपदेश ही दिये गये हैं। कौन सा धर्म बुरा है? धार्मिक विश्वास से मूल्य परिवर्तित नहीं होते हैं। विवेकानन्द ने सभी धर्मों के मूल्य की व्याख्या एक शब्द में करते हुए कहा था – ''मरने वाले की जान बचाने के लिए, अपना जीवन देना शुरू करो, यही धर्म का सार है (रोलां, रोमां, 2012)। यही नैतिक मूल्य है। नैतिकता हर धर्म में समाहित है, फिर धर्म या जाति के नाम पर भेद–भाव क्यों?" विद्यालयों में प्राय: ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक धर्म एवं जाति संप्रदाय के आधार पर बच्चों को पुरस्कार/दण्ड देते हैं, उनसे प्रेम/ईर्ष्या रखते हैं और हमेशा ही समजाति को अधिक अंक प्रदान करने के पक्ष में होते हैं। यह मानसिक हिंसा है एवं मूल्यहीनता का द्योतक है, इसका दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के ऐसे असहयोग एवं विभेदपूर्ण व्यवहार से विद्यार्थियों में कुण्ठा व्याप्त होती है साथ ही उनकी अधिगम प्रक्रिया भी बाधित होती है (जेनकिंस, 1997)। ह्यूमन राईट वाच (2001) ने यह स्वीकार किया है कि विद्यालयी हिंसा छात्राओं में अस्थिरता पैदा करने का महत्वपूर्ण कारण है। जो छात्राएँ उत्पीड़न का शिकार होती हैं उनका विद्यालय में किसी भी प्रकार का शैक्षिक प्रदर्शन बहुत कमज़ोर होता है। वे शैक्षिक प्रदर्शन में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पातीं। अकेलेपन एवं कुंठा का शिकार ऐसी छात्राएँ अपने दोस्तों से किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं कर पातीं। अंतत: वे शालात्याग पर मज़बूर हो जाती हैं।

एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत-कुछ उसके समाज की संस्कृति, सामाजिक अवस्था और परंपराओं आदि से प्रभावित होता है (दुर्खीम, 1956)। विद्यालय में उच्चवर्गीय विद्यार्थी प्रायः निम्नवर्गीय विद्यार्थियों के प्रति छुआछूत की भावना रखते हैं। यह भारतीय संस्कृति में व्याप्त परंपरागत बुराई है। शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की हिंसात्मक क्रियाओं में निर्णायक भूमिका होती है। विद्यालय में ऐसी मानसिक हिंसा का शिकार सिर्फ़ विद्यार्थी ही नहीं होते शिक्षक भी होते रहते हैं, (डेबरबियक्स, 2007)। धर्मवाद, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद से भारत दिनोंदिन खोखला होता जा रहा है।

गांधीजी ने भी माना है कि प्रत्यक्ष तौर पर हिंसा का तात्पर्य मार-काट एवं एक-दूसरे को शारीरिक हानि पहुँचाने तक ही सीमित नहीं है वरन दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना, दूसरों के प्रति बुरा सोचना, अच्छा आचरण प्रदर्शित न करना एवं परस्पर सहयोग न रखना भी हिंसा है। हिंसा से निजात पाने हेतु लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में रास्ता बतलाया है फिर भी वर्तमान समाज में हिंसा का यही रूप विद्यमान है। धन की आसक्ति एवं अधिकार की इच्छा व्यक्ति को हिंसा के लिए प्रेरित करती रहती है। आज उदारीकरण के इस युग में वृहत् संख्या में हो रही विद्यालयों की स्थापना एवं इनका शोषणपूर्ण रवैया इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। दिनोंदिन हो रही फीस में वृद्धि के कारण गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित होते जाना भी राज्य द्वारा कम सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोगों के प्रति एक नीतिगत हिंसा ही है।

विद्यालयी हिंसा एवं मूल्य शिक्षा-प्रमुख बिंदु

स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु शिक्षकों को निम्न मूल्यों को पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में उतारना आवश्यक है-

1. ***सत्य***- व्यक्ति अपने कार्यों को निष्पन्न करने के लिए झूठ का सहारा हमेशा से ही लेता रहा है। इसी प्रछन्न झूठ के कारण आज समस्याएँ जटिलतर होती जा रहीं हैं। जॉन डीवी (1920) का मानना है कि 'सत्य' परिवर्तनशील एवं व्यक्ति निर्मित है। अपने हित को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति इसकी अलग-अलग व्याख्या करता है। वहीं गांधी ने सत्य को ईश्वर माना है। उन्होंने सत्य का विश्लेषण इस कदर किया है कि मूल्य से जुड़ी सभी विमायें इसी सत्य रूपी जड़ से निकलती प्रतीत होती हैं। व्यक्ति इसी सत्य को स्वीकार कर ले कि मानव-मानव में कोई अंतर नहीं, सभी एक परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, सबको अपने कर्तव्य करते हुए स्वतंत्रतापूर्वक जीवन निर्वाह करने का अधिकार है, तो समाज, विद्यालय आदि से हिंसात्मक गतिविधियाँ स्वयं समाप्त हो जाएँगी। तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है-
   साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
   जाके हिरदय साँच है, ताके हिरदय आप।।
2. ***अहिंसा***- अहिंसा, सत्य रूपी तने की एक शाखा है। ज्ञानी होने का सार यही है कि वह किसी प्राणी के साथ हिंसा न करे। इतना ही जानना पर्याप्त है कि अहिंसामूलक समता ही धर्म है।
3. ***धैर्य***- यह महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। ऋग्वेद में कहा गया है कि धैर्य का तंतु अत्यंत

विस्तृत है, किंतु सबको दिखाई नहीं देता है। साधना के लिए धैर्य अति आवश्यक है।

4. ***सहिष्णुता***– मनुष्य की यात्रा 'स्व' की अस्मिता और उसकी उपलब्धि की यात्रा है, इस यात्रा में सर्वाधिक बाधक तत्व असहिष्णुता है। व्यक्ति अपने अपशब्दों, अभद्र व्यवहारों एवं भूलों को स्वीकार कर पश्चाताप कर ले तो मूल्यप्रधान कहा जाता है।

5. ***मृदुता***– इसका अभिप्राय मधुरता से है। जिस व्यक्ति की वाणी और व्यवहार में मधुरता होती है, उसके व्यक्तित्व में मृदुता होती है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों व जातियों के बीच व्याप्त कठोरता को मृदुता से दूर किया जा सकता है। सामाजिक अस्तित्व, न्याय, समरसता एवं मानवीय एकता के लिए मृदुता अति आवश्यक है।

6. ***करूणा***– क्रूरता का विलोम करूणा है। क्रूरता के ज़हर की समाप्ति के लिए करूणा का उद्रेक आवश्यक है। लोभ में व्यक्ति क्रूर व्यवहार करता है। लोभ का अंत अहं का अंत है क्रूरता का अंत है। हृदय परिवर्तन का सूत्र 'करुणा' है। प्रेम, स्नेह, ममता, और वात्सल्य में करुणा का ही प्रसार होता है। एक करुणामय व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार नहीं कर सकता।

7. ***भय***– भय से व्यक्ति अंदर से कमज़ोर हो जाता है। कभी अनिष्ट का भय, कभी वियोग का भय, कभी अप्रियता का भय मनुष्य के स्नायुतंत्र को शिथिल कर देते हैं। जब व्यक्ति अर्थ, पदार्थ और भोग के लिए जीता है तब वह भययुक्त होता है। जिसे धन की, अधिकार की और भोग की कोई लालसा नहीं वह हमेशा निर्भय, निश्चल एवं स्वच्छंद रहते हुए कर्मशील बना रहता है।

8. ***कर्तव्यनिष्ठा***– आज का हर व्यक्ति अपने अधिकार को लेकर सचेत है अपने कर्तव्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दायित्वबोध के अभाव के कारण आज व्यक्ति स्वकेंद्रित हो गया है। गीता का कर्मयोग इसका ज्वलंत प्रतीक है। कर्तव्य, कर्तव्य के लिए हो, केवल किसी क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए नहीं (कांट,1986) । कर्तव्यपरायणता की पहली शर्त निष्ठा एवं जागरुकता है।

9. ***सहअस्तित्व***– जो व्यक्ति मानता है कि व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति का अस्तित्व ही सब कुछ है उसके अनुसार समाज का अर्थ व्यक्ति का निषेध है, जबकि समाज की स्थापना ही व्यक्ति के अस्तित्व एवं सुख को ध्यान में रखकर की गई है। जहाँ केवल अस्तित्व को लेकर संघर्ष है वहाँ हिंसा होती है, जहाँ सहअस्तित्व की भावना होती है वहाँ अहिंसा होती है।

10. ***सामाजिक न्याय***– सदियों से मनुष्य ने मनुष्य का शोषण किया, मनुष्य के न्याय के अधिकार पर कुठाराघात किया। पुरुष ने नारी का, उच्चवर्ग ने निम्न वर्ग का, उच्च जाति ने निम्न जाति का शोषण किया जो अनैतिक एवं मूल्यों के विपरीत है। महात्मा गांधी ने कहा था– *"मैं ऐसे भारत के लिए काम करूँगा, जिसमें गरीब से गरीब लोग भी महसूस करेंगे कि यह देश उनका है और इसके निर्माण में उनकी आवाज़ प्रभावकारी है।"*

11. ***प्रमाणिकता***- इसका अर्थ है, किसी को धोखा नहीं देना। अर्थात 'विश्वास' प्रमाणिकता का मुख्य फल है।
12. ***लोकतांत्रिक चेतना***- लोकतांत्रिक चेतना से युक्त व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र- सामाजिक न्याय, समानता, संप्रदाय निरपेक्षता, राष्ट्रीय अखण्डता के साथ-साथ ऐसी भावना रखता है कि जाने अनजाने में भी उसके द्वारा किसी के अधिकारों का हनन न हो।
13. ***मानसिक संतुलन एवं समन्वयात्मक दृष्टिकोण***- प्रत्येक व्यक्ति एक चक्र में जी रहा है- वर्तमान की प्रवृत्ति व भविष्य का परिणाम। वह सही एवं गलत का निर्णय नहीं कर पाता। यह एक गंभीर समस्या है। मूल प्रवृत्तियों के मार्गांतीकरण (Redirection) और उदात्तीकरण (Sublimation) के द्वारा मानसिक संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जहाँ सहिष्णुता है, धैर्य है, करुणा है, अभय है, अनासक्ति एवं सत्य है वहाँ समन्वय है। अत: हमें विज्ञान से अध्यात्म की ओर, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर, भोग से योग की ओर प्रयाण करके अपने जीवन में मूल्यों की स्थापना करनी आवश्यक है।

सुझाव

उपरोक्त वर्णित बिंदुओं का अनुकरण करने पर मूल्यों की स्थापना हो सकेगी। इन मूल्यों को व्यक्ति, समाज एवं राज्य की सुरक्षा हेतु अपनाना ही पड़ेगा। इस तरह विद्यालयी परिवेश में व्याप्त हिंसात्मक गतिविधियाँ बंद होंगी एवं स्वच्छ समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने विद्यालयी विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया कि- *"समस्त विद्यार्थियों को हिंसा से मुक्त रखना, सिखाना, विद्यालयों को सुरक्षित तथा अनुकूल स्थान बनाना, अधिकार आधारित पाठ्यक्रम का विकास करना तथा विद्यालय द्वारा ऐसे वातावरण की व्यवस्था करना जो कि हिंसा एवं पक्षपात को मिटाकर अहिंसक मूल्यों को बढ़ावा दे सके, आवश्यक है।"*

व्यवहार परिवर्तन हेतु 'शिक्षा' एक सशक्त माध्यम है, जो जनतांत्रिक रीति से व्यक्तियों में दीर्घकालीन मूल्यपरक परिवर्तन ला सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम तथा प्रशासनिक तौर पर भी परिवर्तन किये जायें। इस हेतु ***राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005)*** द्वारा ऐसे प्रयास किये गये हैं। ***राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005)*** द्वारा शिक्षा में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर अपने विवरण-पत्र में 83 मूल्यपरक बिंदुओं पर बल देते हुए कहा गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मूल्यपरक शिक्षा ही पूरी शिक्षा है।

डीवी (1915) द्वारा विद्यालयों को इसलिए समाज का लघु रूप कहा गया था क्योंकि परिवार के साथ-साथ विद्यालयों में भी भावी समाज का निर्माण एवं दिशा निर्मित होती है, सही मूल्यों पर मंथन होता है, उसे धारण करने पर तर्क-वितर्क होता है, वास्तविक रूप से यहीं बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यह तभी संभव है जब बालक विद्यालयों में भय मुक्त अध्ययन करें। इस संदर्भ में कुछ सुझाव निम्न हैं-

1. माता-पिता अपने सीखे हुए मूल्यों को नकारने के बजाय उन्हें कहानियों और अनुभवों के

रूप में बच्चों के साथ बाँटें एवं घर, परिवार का वातावरण भी मूल्यपरक बनाने का प्रयास करें।

2. विद्यालय प्रशासक इस बात पर ध्यान दें कि विद्यालय का वातारण अहिंसक एवं स्वच्छ एवं धर्मनिरपेक्ष, जातिनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने वाला हो।
3. शिक्षक-विद्यार्थी संबंधों में वही प्राचीन कालीन आदर्शवादी गुरु-शिष्य परंपरा की विचारधारा एवं कर्तव्यनिष्ठा के विकास का प्रयास किया जाय।
4. हर स्तर के पाठ्यक्रमों में मूल्य शिक्षा को शामिल किया जाय।
5. विद्यालयों में विद्यार्थियों से कार्य लेते समय शिक्षक जातिगत, क्षेत्रगत, धर्मगत भावना से प्रेरित न हों। बल्कि सभी वर्गों के विद्यार्थियों से एक साथ समान रूप से कार्य लें जिससे उनमें एकता एवं समानता की भावना का विकास हो सके।
6. पाठ्यक्रमों में हर वर्ग से संबंधित महापुरुषों के राष्ट्र निर्माण में योगदान एवं उनके कर्तव्यनिष्ठा की कहानी शामिल की जाए।
7. प्राधानाचार्यों द्वारा शिक्षकों से एवं शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से नित-नवीन मूल्यपरक कार्य कराये जाएँ, जिससे उनमें मूल्यपरक अनुभव का विकास होता रहे।
8. मूल्यप्रधान व्यक्तियों को उदाहरण के रूप में विद्यालयों में आमंत्रित किया जाए।
9. विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रत्येक प्रकार के व्यवहारों (सकारात्मक एवं नकारात्मक) की सूचना उनके अविभावको को दी जाय।
10. दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले ऐसे कार्यक्रम जो हिंसा को प्रोत्साहित करते है, रोक लगाई जाय।

राज्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था धनाभाव से प्रभावित न हो।

सारांश

विद्यार्थयों को विद्यालय में मूल्यपरक शिक्षा मिले इसके लिए पहले विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व निर्माण को मजबूती मिलती है। विद्यालय में हर जाति, समुदाय या धर्म का विद्यार्थी भयमुक्त होकर अध्ययन कार्य करे इसके लिए शिक्षकों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स को पहले अपने अंदर, सत्य, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, मृदुता, करुणा, अभय, स्वावलंबन, कर्तव्यनिष्ठा, सहअस्तित्व, सामाजिक न्याय, प्रामाणिकता, लोकतांत्रिक चेतना, मानसिक संतुलन, विज्ञान एवं अध्यात्म में समन्वयात्मक दृष्टिकोण, संप्रदाय निरपेक्षता, जाति निरपेक्षता, धन-अनासक्ति, आत्मानुशासन, सौंदर्यबोध एवं मानवीय एकता की भावना का विकास करना होगा। इस तरह के मूल्यसंपन्न गुरुओं से शिक्षार्थी में उक्त मूल्यपरक गुणों का स्थानांतरण होगा और समाज को एक सही दिशा मिल सकेगी। इससे विद्यालय ही नहीं बल्कि समाज का प्रत्येक क्षेत्र हिंसामुक्त होगा तथा भविष्य की दिशा भी मूल्यपरक होगी।

संदर्भ

अध्यापकों का राजनीतिकरण. *सरिता* नवंबर, द्वितीय, 1973., पृ. 26-33

एडम्स, टी. 2000. दी स्टेट्स ऑफ़ स्कूल डिसीप्लीन एण्ड वायलेन्स, *एनल्स ऑफ़ आप द अमेरिकन अकादमी ऑफ़ पोलिटिकल एण्ड सोशल साइंस.* 567, 140-156

एन.सी.ई.आर.टी. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005.* नयी दिल्ली

कान्ट, आई. क्रिटिक ऑफ़ प्रेक्टिकल रीजन इन सिंह, बी.एन. 1986. *पाश्चात्य दर्शन,* वाराणसी : स्टूडेण्ट्स फ्रेंड्स एण्ड कम्पनी, पृ. 402

कोहलबर्ग, एल. 1969. *स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ़ मोरल थॉट एंड एक्शन.* न्यूयार्क, होल्ट, रिनेहार्ट एंड विन्सटन (9)

गांधी, एम.के.सी. 2010. *सत्य ही ईश्वर है.* डायमंड पॉकेट बुक्स प्रा. लि. दिल्ली, पृ. 24-29

गांधी, एम.के.सी. 2011. *सत्य के प्रयोग.* हिलव्यू पब्लिकेशन प्रा.लि, जयपुर

गेल्डार्ड. 1963. *फ़ाउण्डेशन ऑफ़ साइकोलॉजी* (द्वितीय संस्करण). मोती लाल बनारसी दास, नयी दिल्ली, पृ. 622

गुड, सी.वी. 1959. *डिक्शनरी ऑफ़ एजुकेशन* (सेकेंड एडीशन). फ़ाई डेल्टा कप्पा, न्यूयार्क

जिमरिंग, एफ.ई. 1991. "फ़ायर आर्म्स, वाईलेंस एवं पब्लिक पॉलिसी". *साइन्टिफ़िक अमेरिकन,* 265, 48-54 (16)

जेनकिंस, आर. 1997. "स्कूल डेलिक्वेंसी एण्ड द स्कूल सोशल बॉण्ड". *जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन क्राइम एण्ड डेलिक्वेंसी,* 34, 31-35

डेबरवियक्स, इरिक. 2007. *एक्स्पर्ट मीटिंग स्टापिंग वायलेन्स इन स्कूल, ह्वाट वर्क्स?.* यूनेस्को हेडक्वार्टर, पेरिस, 27-29, जून, 2007

डीवी, जे. 1915. दी स्कूल एण्ड दी सोसाइटी इन पाण्डेय, आर.एस. 1990. *शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि.* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा पृ. 117-132

________. 1920. रिकॉन्सट्रक्शन इन फ़िलॉसफी इन पाण्डेय, आर.एस. 2008. *फ़िलासफी ऑफ़ एजुकेशन.* अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा पृ. 239

डी.आई एण्ड कॉफ़ेनबर्गर. 2005. "स्टूडेंट रिपोर्ट ऑफ़ बूलिंग, रिज़ल्ट्स फ़्रॉम द 2001 स्कूल क्राइम सप्लिमेंट टू द नेशनल विक्टमाइज़ेशन सर्वे", *एन.सी.एफ़. 2005-310,* यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन, सेंटर फ़ॉर एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स, वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस. गवर्मेंट प्रिंटिंग ऑफ़िस।

डोर्से, जे. 2000. *इंस्टीट्यूट टू एण्ड स्कूल वॉइलेन्स* Retrive from – http:/www.enosQchoolviolence.com/strategy/ on 08.05.2010

दुर्खीम, ई. 1956. इन रुहेला, एस.पी. 2008. *भारतीय शिक्षा का समाजशास्त्र.* राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

पाण्डेय, आर.एस. एवं मिश्रा, के.एस. 2008. *वैल्यू एजुकेशन.* अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा

पिनहेइरो, पी.एस. 2006. *वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन वाइलेन्स अगेन्स्ट चिल्ड्रेन.* जेनेवा, स्वीटज़रलैण्ड, यू.एस.

फरलांग, एम. एवं मॉरीशन, जी. 2000. "द स्कूल इन स्कूल वाइलेन्स, डेफ़िनेशन एण्ड फैक्ट्स", *जर्नल ऑफ़ इमोशन एण्ड बिहेविओरल डिसआर्डर,* 8, 71-81

बैरन, रौबर्ट ए. डौन, आर. बायर्न. 2004. *सामाजिक मनोविज्ञान* (हिंदी संस्करण). पीयरसन एजुकेशन इन्क, दिल्ली

रथ, एल.ई. हरमिन, एम. साईमन, एस.बी. 1966. वैल्यू एण्ड टीचिंग, ओहियो, चार्ल्स ई. मेरिल

रोलां, आर. 2012. विवेकानन्द की जीवनी. अद्वैत आश्रम, प्रकाशन विभाग, कोलकाता, पृ. 221

लाकऊड, डी. 1997. *वायलेन्स एमंग मिडिल स्कूल एंड हाईस्कूल स्टूडेंट्स, एनालिसिस एंड इम्पिलिकेशंस फॉर प्रिवेन्शन.* नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ जस्टिस रिसर्च इन ब्रीफ, पृ. 1–9

लोढ़ा, एम.एम. 2008. *नैतिक शिक्षा, विविध आयाम.* राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

वेल्स, डब्लू. 2000. "द इफेक्ट्स ऑफ़ स्कूल क्लाइमेट ऑन स्कूल डिसआर्डर". *एनल्स ऑफ़ द अमेरिकन अकादमी ऑफ पोलिटिकल एंड साईंस,* 567, 88–107

शरतेन्दु, एस.एन.डी. 2008. मूल्य शिक्षा, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद

हिजलर, हुवर, ऑलीवर. 1996. स्टूडेंट परसेप्शंस ऑफ़ विक्टमाइज़ेशन बाई बूलिंग इन स्कूल". द *जर्नल ऑफ़ ह्यूमेनिस्टिक एजुकेशन एंड डवलपमेंट,* 29, 143–150

ह्यूमन राइट्स वॉच. 2001. स्केअर्ड ऐट स्कूल – सेक्सुअल वायलेन्स अगेन्स्ट गर्ल्स इन साऊथ अफ़्रीकन स्कूल्स. www.hrw.org/report/2001/safrica/